राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

[illegible] दिनांक– 23-4-18

आदेश

[illegible] राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं महात्मा गांधी विद्यापीठ, वर्धा एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश दिनांक [illegible] के अनुपालन में वर्ष 2017-18 में सम्बद्धता प्राप्त एवं पुनर्सम्बद्धता चाहने वाले निम्नांकित महाविद्यालयों हेतु वर्ष 2018-19 में शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ किया जाना है:–

[illegible]	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	सम्बद्धता संबंधित संकाय व विषय
[illegible]	[illegible] महाविद्यालय, [illegible]	[illegible] विश्वविद्यालय, जयपुर।	संकाय वार– विज्ञान संकाय– [illegible] वाणिज्य संकाय, [illegible] मानविकी संकाय– [illegible]

1. [illegible] संबंधित संकाय में निर्धारित प्रावधानों के निरन्तरपालन तथा पर्याप्त भूमि सुनिश्चित करेंगे।
2. [illegible] अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जाकर संबंधित संकाय में [illegible] अधिकारी द्वारा अन्य शर्तें अधिरोपित की जावेंगी।
3. [illegible] दूरदर्शी/संकाय सलाहकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जाने तथा शुल्क से संबंधित होंगे।
4. [illegible] विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेंगे तथा विधि महाविद्यालय के प्रावधान में सेमेस्टरप्रणाली से [illegible] विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात ही विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जावेगा।
5. [illegible] को NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. [illegible] (एन.ई.पी.ए.टी.) का प्रावधान 5 वर्ष में महाविद्यालय करवाना अनिवार्य होगा।
7. [illegible] दूरदर्शी अधिकारी द्वारा एवं व्यवस्थाओं तथा निर्धारित [illegible] के अनुपालन की रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेंगे।
8. [illegible] के प्रावधान के अनुसार ही प्रवेश दिये जाने होंगे।
9. [illegible] विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त [illegible] आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग [illegible] महाविद्यालय द्वारा संबंधित संकाय में ही प्रवेश लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
10. [illegible] महाविद्यालय सम्बद्धता प्रवेश पॉलिसी 2018-19 तथा कार्य में जारी होने वाली गाईडलाईन का पालन करेंगे।
11. [illegible] की वेबसाईट **www.dce.rajasthan.gov.in** से पॉलिसी पुस्तिका एवं [illegible] निर्धारित आवेदन पत्र में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेंगे।
12. [illegible] शिक्षण संस्थान, पत्राचार पाठ्यक्रम की वेबसाईट **www.sidm.nic.in** पर महाविद्यालय को [illegible] DCF- II (Data Capture Format) भरकर प्रवेशों [illegible] अनिवार्य होगा।
13. [illegible] भरने की पालना नहीं करने पर **स्थायी सम्बद्धता** प्रवेश-पत्र को [illegible] किया जावेगा।

[illegible]
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

[illegible] निम्नांकित को सूचनार्थ एवं **आवश्यक कार्यवाही** हेतु प्रेषित है –

1. [illegible] महाविद्यालय, गांधी भवन, विज्ञान नगरी, महापथ, राजस्थान, जयपुर।
2. [illegible] कॉलेज, कॉलेज पुलिस चौकी, प्रताप शिक्षक निवास, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सलाहकार, जयपुर।
4. पुलिस चौकी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. [illegible] संबंधित महाविद्यालय।
6. [illegible] समन्वयक, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. [illegible] फाईल।

[illegible]
संयुक्त-निदेशक (विधि)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर